न्यायालय– सिविल न्यायाधीश, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी – **तुषार बिश्नोई (आर.जे.एस.)**

मूल दीवानी वाद सख्या – 23/2025

सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या– Civil Suit 23/2025

CNR NO. RJJH180005612025

मोनिका पुत्री कर्मबीर उम्र 31 साल निवासी ग्राम भैसावता खुर्द तहसील, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.) ––वादी

बनाम

1. संतरो (संतरा) पत्नी हवासिंह उम्र 71 वर्ष हाउस नम्र 434 वार्ड संख्या 12 सिवानी जिला भिवानी (हरियाणा)

2. कलावती पत्नी मखनलाल उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम भैसावता खुर्द तहसील, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

3. ईश्वर पुत्र मखनलाल उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम भैसावता खुर्द तहसील, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

4. सुनिल पुत्र मखनलाल उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम भैसावता खुर्द तहसील, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

5. पवन पुत्र मखनलाल उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम भैसावता खुर्द तहसील, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

6. सोना देवी पत्नी रोशनलाल उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम भैसावता खुर्द तहसील, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

7. रतन पुत्र रोशनलाल उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम भैसावता खुर्द तहसील, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

8. संजय पुत्र रोशनलाल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम भैसावता खुर्द तहसील, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

9. हर खास व आम ––प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणात्मक ।

उपस्थित:–01. श्री प्रदीप कुमार सैन – विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादी।

02. श्री सुरेश कटारिया–विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं०–01 से 08 ।

03. हर खास व आम कोई उपस्थित नहीं।

–:: <u>निर्णय</u> ::– दिनांक 05.05.2026

01. वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 21.04.2025 को एक वाद बाबत घोषणात्मक इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तत्पश्चात वादी की ओर से दिनांक 05.05.2026 को संशोधित वादपत्र पेश किया गया, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी का जन्म दिनांक 04.04.1994 को ग्राम भैंसवता खुर्द में हुआ था। वादी के पिता कर्मबीर का विवाह प्रतिवादी संख्या–01 की पुत्री सिलोचना से दिनांक 16.07.1991 को उनके निवास वार्ड संख्या–12 सिवानी जिला भिवानी हरियाणा में सम्पन्न हुआ था । वादी के जन्म के दो वर्ष बाद दिनांक 15.08.1996 को उसकी माता सिलोचना की मृत्यु हो गई। वादी के पिता कर्मबीर ने पुनः विवाह नहीं किया तथा दिनांक 29.07.2010 को कर्मबीर की मृत्यु हो गई। वादी के जन्म के दो वर्ष बाद दिनांक 15.08.1996 को उसकी माता सिलोचना की मृत्यु हो जाने के कारण वादी के ननिहाल पक्ष से मतभेद हो गया तथा वादी के पिता कर्मबीर सिंह के सर्विस रिकार्ड में वादी की माता श्रीमती सिलोचना देवी का नाम दर्ज नहीं हो सका तथा वादी का पालना पोषण एवं विवाह संस्कार भी प्रतिवादी संख्या–02 व उसके पति मखनलाल ने किया है। वादी की माता सिलोचना ही कर्मवीर की विधिक पत्नी है। वादी के पिता भारत तिब्बत सीमा पुलिस में नौकरी करते थे तथा उनके विभाग में वादी द्वारा अनुकम्पा भर्ती वर्ग में आवेदन किया तो उन्हें इस बाबत योग्य माना गया तो वादी को अपनी माता श्रीमती सिलोचना को कर्मबीर की विधिक पत्नी होने बाबत घोषणा करवाना अनिवार्य हुआ है। वादी ने दावा के लिए आधार विवाद वादी कर्मबीर पुत्र महादाराम एवं श्रीमती सिलोचना पुत्री हवासिंह की वैध विवाह से जन्मी संतान होने के कारण तथा श्रीमती सिलोचना ही कर्मबीर की विधिक पत्नी होने से तथा कर्मबीर के विभाग में इस बाबत कोई रिकार्ड नहीं होने से पैदा हुआ है। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध उसकी माता श्रीमती सिलोचना ही कर्मबीर की विधिक पत्नी होने बाबत घोषणा नहीं करवाती है तो वादी को अनुकम्पा भर्ती का लाभ नहीं मिलेा तथा एक सैनिक की पुत्री होने के बाद भी वह अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जाएगी। इसलिए वादी द्वारा यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। अन्त में वादी ने अपना वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद होने के अभिकथन करते हुए वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री किये जाने का निवेदन किया कि वादी मोनिका का माता श्रीमती सिलोचना ही कर्मबीर की विधिक पत्नी है तथा कर्मबीर एवं श्रीमती सिलोचना के विवाह के बाद मात्र एक इकलौती संतान वादी मोनिका है। अन्य

कोई अनुतोष सहवन से अयाचित रह गये तो वो भी दिलवाये जाने का निवेदन किया।

02. प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से पृथक से तथा प्रतिवादी संख्या–02 लगायत 08 की ओर से संयुक्त रूप से जवाब दावे पेश कर वादी के वादपत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादी की माता सिलोचना को कर्मबीर की पत्नी एवं वादी को कर्मबीर व सिलोचना की एक मात्र संतान (वारिस) होना स्वीकार करते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपति नहीं होना प्रकट किया गया।

03. हर खास व आम के संबंध में दैनिक नवयत्न अखबार सीकर संस्करण में दिनांक 01 जुलाई, 2025 को ईश्तिहार जारी किया गया, अखबार की प्रति वादी की ओर से न्यायालय में पेश की गई। हर खास व आम के संबंध में ईश्तिहार जारी कर एक प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर एवं प्रार्थीया के मकान पर तथा एक प्रति गांव के बस स्टैण्ड पर चस्पा की गई लेकिन हर खास व आम की तरफ से किसी के द्वारा कोई आपति/ जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

04. हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 08 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किये जाने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई।

05. वादी की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में एकपक्षीय साक्ष्य में पी०डब्ल्यू–01 मोनिका (स्वयं वादी)को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 असल आधार कार्ड वादी (जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 1ए है), प्रदर्श–02 असल अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र माध्यमिक परीक्षा (जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 2ए है), प्रदर्श–03 पैन कार्ड (जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 3ए है), प्रदर्श–04 मृत्यु प्रमाण पत्र सिलोचना पुत्री सन्तरा व हवासिंह (जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 4ए है), प्रदर्श–05 मृत्यु प्रमाण पत्र कर्मबीर सिंह पुत्र रेशमी देवी व महादाराम (जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 5ए है), प्रदर्श–06 वादी का जाति प्रमाण पत्र (जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 6ए है) प्रदर्श–07 जन्म प्रमाण पत्र मोनिका स्वयं वादी (जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 7ए है), प्रदर्श–08 माईग्रेशन सह स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मोनिका (जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 8ए है), प्रदर्श–09 जमाबंदी खाता संख्या नया 111 ग्राम भैसावता खुर्द, प्रदर्श–10 जमाबंदी खाता संख्या नया 14 ग्राम भैंसावता खुर्द, प्रदर्श–11 सरपंच ग्राम पंचायत भैसावता खूर्द का प्रमाण पत्र (जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 11ए है) को पेश कर प्रदर्शित करवाया।

06. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने जाहिर किया कि वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य बखूबी साबित हो रहा है कि वादी के पिता कर्मबीर का विवाह प्रतिवादी संख्या–01 की पुत्री सिलोचना से दिनांक 16.07.1991 को सम्पन्न हुआ था एवं उक्त विवाह के उपरांत वादी का जन्म दिनांक 04.04.1994 को ग्राम भैसावता खूर्द में हुआ तथा वादी की माता की मृत्य दिनांक 15.08.1996 को तथा उसके पिता की मृत्यु दिनांक 29.07.2010 को हुई है एवं मृतक कर्मबीर की विधिक पत्नी वादी की माता सिलोचना देवी थी एवं उक्त दोनों कर्मबीर व सिलोचना की विधिक वारिस केवल मात्र वादी है, इसके अलावा अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि वादी के समस्त दस्तावेजात में वादी के पिता का नाम कर्मबीर एवं माता का नाम सिलोचना है एवं ग्राम पंचायत भैसावता खूर्द के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र से भी वादी ही मृतक कर्मबीर व सिलोचना देवी की विधिक वारिस है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 08 के द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है एवं हर खास व आम की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि वादी की माता सिलोचना को मृतक कर्मबीर की विधिक पत्नी एवं वादी के मृतक कर्मबीर व सिलोचना की विधिक वारिस होने की घोषणा फरमाई जाकर वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे।

07. विद्वान अधिवक्ता वादी के तर्को पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय को हस्तगत वाद में यह देखना है कि **क्या वादी की माता मृतका सिलोचना मृतक कर्मबीर की विधिक पत्नी थी एवं वादी मृतक कर्मबीर व मृतका सिलोचना की एकमात्र इकलौती संतान है ?**

08. इस संबंध में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र एवं साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो वादी मोनिका ने बतौर गवाह पी०डब्ल्यू–01 परीक्षित होकर अपने साक्ष्य शपथ पत्र के मुख्य परीक्षण में अपने वादपत्र के कथनों के मुताबिक ही कथन किये हैं कि वादी का जन्म दिनांक 04.04.1994 को ग्राम भैंसवता खुर्द में हुआ था। वादी के पिता कर्मबीर का विवाह प्रतिवादी संख्या–01 की पुत्री सिलोचना से दिनांक 16.07.1991 को उनके निवास वार्ड संख्या–12 सिवानी जिला भिवानी हरियाणा में सम्पन्न हुआ था । वादी के जन्म के दो वर्ष बाद दिनांक 15.08.1996 को उसकी माता सिलोचना की मृत्यु हो गई। वादी के पिता कर्मबीर ने पुनः विवाह नहीं किया तथा दिनांक 29.07.2010 को कर्मबीर की मृत्यु हो गई। वादी के जन्म के दो वर्ष बाद दिनांक 15.08.1996 को उसकी

माता सिलोचना की मृत्यु हो जाने के कारण वादी के ननिहाल पक्ष से मतभेद हो गया तथा वादी के पिता कर्मबीर सिंह के सर्विस रिकार्ड में वादी की माता श्रीमती सिलोचना देवी का नाम दर्ज नहीं हो सका तथा वादी का पालना पोषण एवं विवाह संस्कार भी प्रतिवादी संख्या–02 व उसके पति मखनलाल ने किया है। वादी की माता सिलोचना ही कर्मवीर की विधिक पत्नी है। वादी की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में किये गये कथनों के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उनमें कर्मबीर की पत्नी का नाम सिलोचना होना एवं वादी के माता पिता का नाम क्रमशः सिलोचना एव कर्मवीर होना दर्ज किया हुआ है। इस प्रकार वादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य पेश की गई है उसकी सम्पुष्टि उसकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से भी हो रही है। प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 08 के द्वारा भी अपने जवाब दावा में वादी के वादपत्र के कथनों को स्वीकार किया गया है तथा हर खास व आम की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है।

09. इस प्रकार वादी की ओर से अपने वादपत्र के अभिकथनों के समर्थन में जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उसके खण्डन स्वरूप पत्रावली पर किसी प्रकार की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादी की माता मृतका सिलोचना मृतक कर्मबीर की विधिक पत्नी थी एवं मृतका सिलोचना तथा कर्मबीर की एकमात्र इकलौती संतान वादी मोनिका ही है। ऐसे में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

–आदेश–

10. परिणामतः वाद, वादी मोनिका पुत्री कर्मबीर उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू हाल आबाद बुहाना विरूद्ध प्रतिवादीगण संतरों (संतरा) वगैरह बाबत घोषणात्मक डिक्री किया जाकर वादी मोनिका की माता सिलोचना को मृतक कर्मबीर की विधिक पत्नी एवं वादी मोनिका को मृतका सिलोचना व मृतक कर्मबीर की एकमात्र इकलौती संतान घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेगे। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(तुषार बिश्नोई)
सिविल न्यायाधीश, बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज०)

11. निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखवाया जाकर, हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(तुषार बिश्नोई)
सिविल न्यायाधीश, बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज०)